दिनाक 13.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–13/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा घुमक्कड़ अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को नगरों तथा कस्बों व ग्रामीण अंचल के बाहरी क्षेत्रों में घुमक्कड़ अपराधी द्वारा घटित अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से निर्गत दिशा निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन करते हुये इस प्रकार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः–

- घुमक्कड़ अपराधियों के ठहरने के ठिकानों विशेष रूप से शहर, कस्बों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन एवं सड़को के आस पास लगे अस्थायी टेन्टो पर चेकिंग करायी जाये, किन्तु यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाये।
- जनपद के ऐसे क्षेत्र जो इस प्रकार के अपराधो के लिये संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हैं एवं प्रमुख बाजारों में विशेष रूप से रात्रि से प्रातः तक नियमित गश्त करायी जाये।
- संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जाय तथा संवेदनशील एवं सूनसान स्थानो पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट एवं गश्त लगायी जाये।
- बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बाजारो के आस–पास पिकेट एवं गश्त की व्यवस्था करायी जाये ।
- सूनसान इलाको में खड़े वाहनो की प्रभावी चेकिंग करायी जाये।

- यदि किसी जनपद में इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उस जनपद के पुलिस अधिकारियों द्वारा त्वरिततम संचार माध्यम से पड़ोस के सभी जनपदो को घटना की सूचना दी जाये।
- कार्यशाला के माध्यम से जनपद स्तर पर नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

जनपद आजमगढ़ / थाना बिलरियागंज,

- **पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूटे गये 01 लाख 58 हजार रूपये नगद,**
- **01 देशी रिवाल्वर, 01 जीवित कारतूस,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित / खोखा कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12 / 13.01.2021 को थाना बिलरियागंज, थाना रौनापार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घेराबन्दी कर विभिन्न स्थानो से पुलिस कार्यवाही के दौरान 04 शातिर अभियुक्तों 1– संजय 2–योगेन्द्र 3– गुड्डू 4– बसन्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से लूटे गये 01 लाख 58 हजार रूपये नगद, 01 देशी रिवाल्वर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित / खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः10.01.2021 को थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के ग्राम जमीन रसूलपुर रोड़ पर पिकअप चालक से लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0–09 / 2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1– संजय निवासी पॉतीखुर्द थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2–योगेन्द्र निवासी पुराबाल नारायण थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3– गुड्डू निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

4– बसन्त निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी—:</u>

1—लूटे गये 01 लाख 58 हजार रूपये नगद,

2—01 देशी रिवाल्वर, 01 जीवित कारतूस,

3—01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित/खोखा कारतूस,

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

<u>जनपद अलीगढ़/थाना गाँधीपार्क</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 35,500 रूपये नगद,**
- **लूट का 07 मोबाइल फोन,**
- **04 अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 11 जीवित/खोखा कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन,**
- **लूट का बैंग, एटीएम कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 12.01.2021 की रात्रि थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बोनेर तिराहे पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त 1— प्रदीप 2—जयबीर 3—अशोक 4—बब्लू घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 35,500 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन, लूट का बैग, एटीएम कार्ड आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद एटा, जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनॉकः12.01.2021 की रात्रि थाना गॉधीपार्क क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गॉधीपार्क पर मु0अ0सं0—34/2021 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद रूपये, बैंग आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गॉधीपार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1— प्रदीप निवासी रामनगर थाना निधौलीकलां जनपद एटा।

2—जयबीर निवासी जटोली थाना निधौलीकलां जनपद एटा।

3— अशोक निवासी जटोली थाना निधौलीकलां जनपद एटा।

4—बब्लू निवासी किदवईनगर थाना कोतवालीनगर जनपद एटा।

बरामदगीः—

1—लूटे गये 35,500 रूपये नगद,

2—लूट का 07 मोबाइल फोन,

3—02 अवैध तमंचा 315बोर, 02जीवित, 04 खोखा , 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

4—घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन,

5—लूट का बैग, एटीएम कार्ड आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना दुल्लहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अवैध शस्त्र तस्कर गिरफ्तार,**
- **09 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **03 अवैध पिस्टल, 06 जीवित कारतूस,**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 13.01.2021 थाना दुल्लहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मरदह बार्डर बहलोलपुर के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान 02 शातिर अवैध शस्त्र तस्कर 1. कमलेश, 2. रामआसरे, को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 09 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 03 अवैध पिस्टल, 06 जीवित कारतूस, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना दुल्लहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1.—कमलेश निवासी रसीदाबाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

2. रामआसरे निवासी इटौरा चौबेपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

बरामदगी:—

1— 09 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—03 अवैध पिस्टल, 06 जीवित कारतूस

3—01 चार पहिया वाहन

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचा, 315बोर, 07 जीवित/खोखा कारतूस,**
- **02 मोबाइल फोन,**
- **01 स्कूटी,**
- **375 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 12.01.2021 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिण्डन पुस्ता के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही के दौरान शातिर अभियुक्त 1. दीपांशू, 2. प्रदीप, घायल सहित 3. अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 स्कूटी, 375 रूपये नगद बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बरेली में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–.दीपांशु निवासी महेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पीछे तिगरी थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2–प्रदीप निवासी बबलू केवल आफिस के पास तिगरी थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3–अंकित निवासी भाटी का मकान तिगरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, मूलपता ग्राम करगेना थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

बरामदगीः–

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

2–02 मोबाइल फोन,

3–01 स्कूटी,

4–375 रूपये नगद ।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 10.62 कुन्टल गांजा के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 12–01–2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले के 02 सदस्यों को 10.62 कुन्टल गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 2.50 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– राम सिंह ननका पुत्र अर्जुन निवासी–26/10/58 लालबिहारा, बमरौली थाना धूमनगंज, प्रयागराज।

2– संजय सिंह पटेल लल्लू पुत्र–ज्ञानचंद्र पटेल, निवासी–नयापुरवा, थाना–सोराव, प्रयागराज।

बरामदगीः

1– ट्रक यू0पी0–70 एटी–4135

2– अवैध मादक पदार्थ गाँजा 10.62 कुन्टल गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 2.50 करोड़ रूपये)

3– रुपये 4250/– नकद।

4– 03 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः-

दिनांक 12—01—2021 मारकुण्डी, टोल प्लाजा, राबर्ट्सगंज सोनभद्र।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एसटीएफ, उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम को मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उड़ीसा से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है, जो वहा से आने वाले ट्रको में लाये जा रहे सामान में छिपाकर लाया जा रहा है तथा पूर्वी उ0प्र0 के प्रयागराज एवं आस पास के जनपदों में बेचा जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ट्रक नम्बर यू0पी0—70 एटी—4135 उड़ीसा से प्रयागराज जाने वाला है, जिसमें भारी मात्रा में गांजा लदा हुआ है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए व पुलिस के उच्चाधिकारियों एवं एनसीबी को अवगत कराते हुए निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय, उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, मु0आ0 शमशेर, आरक्षी भूपेंद्र, आरक्षी उमाशंकर, कमांडो विनोद यादव व चालक सुरेश की टीम जनपद सोनभद्र के लिए रवाना हुई। जनपद सोनभद्र पहुंचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर लोढ़ी टोल प्लाजा, मारकुण्डी पर आने जाने वाले वाहनों का इन्तजार करने लगी। कुछ देर बार मुखबिर द्वारा बताये गये ट्रक यू0पी0—70 एटी—4135 आती हुई दिखाई दी, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा एनसीबी व स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उक्त ट्रक को रोककर तलाशी ली गयी, तो धान की भूसी से भरी बोरियों के बीच में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर रखा गया था, जिसे कब्जे में लेकर ट्रक चालक व क्लीनर को हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि यह गाँजा उड़ीसा के बलनगीर से लाया जा रहा था, जिसे केसरवानी पुत्र ठाकुरदीन गंगोत्री नगर, नैनी, प्रयागराज के प्रदीप ने मँगाया था। हम लोग कई बार उड़ीसा से गांजा लाकर इनको देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली, जनपद सोनभद्र पर एनसीबी के केस संख्याः मु0अ0सं0 03/2021 धारा 8/20/29/ 60(3) एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती/थाना पुरानी बस्ती

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के 04डेस्कटॉप, 04 सीपीयू, 03 कीबोर्ड, 01 इन्वर्टर, 02 बैट्री,**
- **01 मोटर,**
- **03 दो पहिया वाहन,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13.01.2021 को थाना पुरानी बस्ती पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 08 अभियुक्तों 1—उत्सव 2—रामनिरंजन उर्फ निरहू 3—अमन 4—अरविन्द 5—शिवम् 6—अरूण 7—अजय 8—दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 डेस्कटॉप, 04 सीपीयू, 03 कीबोर्ड, 01 इन्वर्टर, 02 बैट्री, 01 मोटर, 03 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0—10/2021 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0—12/2021 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे । अभियुक्तो से बरामद सामान उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—उत्सव निवासी ग्राम कोल्हुवॉ थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

2—रामनिरंजन उर्फ निरहू निवासी ग्राम कोल्हुवॉ थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

3—अमन निवासी खुटहना थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

4—अरविन्द निवासी खुटहना थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

5—शिवम् निवासी संजय कालोनी थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

6—अरूण निवासी बडेरिया खुर्द थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

7—अजय निवासी रामनगर करजहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

8—दीपक निवासी बडेरिया खुर्द थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

बरामदगी—:

1—चोरी के 04 डेस्कटॉप, 04 सीपीयू, 03 कीबोर्ड, 01 इन्वर्टर,
2—02 बैट्री,
3—01 मोटर,
4—03 दो पहिया वाहन,
5—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनॉकः 13.01.2021 को थाना कुर्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खरिहानी मोड़ से पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—193/2020 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुर्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

राहुल निवासी इसरौली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

———